



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21—मार्च 27, 2009 (फाल्गुन 30, 1930)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21—MARCH 27, 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 6 फरवरी 2009

नं० 13 - सी०ए० (परीक्षा) / जून / 2009:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि कांसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय, वृत्तिक संक्षमता पाठ्यक्रम (पी.सी.सी.) और फाईनल (वर्तमान व नवीन पाठ्यक्रम) की परीक्षाएँ निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

उसी प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अनुसूची 'सी', 'डी', 'ई', 'जी' और 'एच' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट्स पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कॉरपोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टेक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई०आर०एम०) और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन (आई०टी०एल० एवं डब्लू०टी०ओ०) की परीक्षाएँ भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते की प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा में पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा:-

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28-बो (5) के अन्तर्गत है, के अनुसार) और

वृत्तिक संक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा (पी०सी०ई०):-

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28-सी (3) के अन्तर्गत है, के अनुसार)

ग्रुप - I	2, 4 और 6 जून, 2009
ग्रुप - II	8, 10 और 12 जून, 2009

No. V-33(13)22/92-E-IV

In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for U.T. Chandigarh State which shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	Name	Designation	Under Regulation
1.	Health Secretary, Chandigarh Administration	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2.	Deputy Commissioner, Chandigarh	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3.	Assistant Labour Commissioner U.T. Chandigarh	Member	Reg. 10(1)(c)
4.	Director Health Services U.T. Chandigarh	Officer directly Incharge of ESI Scheme in the State (Ex-Officio Member)	Reg. 10(1)(d)(i)
5.	Senior State Medical Commissioner ESI Corporation Chandigarh	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6.	Shri Vinod Mital, President Chamber of Chandigarh Industries, 128, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
7.	Shri Surinder Gupta President Chamber of Chandigarh Industries (Regd.) 182/60, Industrial Area Phase-I, Chandigarh	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
8.	To be nominated by the Chairman	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
9.	To be nominated by the Chairman	-do-	-do-
10.	Shri Ram Pal Sharma President INTUC, H. No. 160, Sector 2 Panchkula	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
11.	Shri Rakesh Kumar, Near Prem Singh Kariyan Store, Village-Daddu Majra, Chandigarh.	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
12.	Shri M.L. Narang, R/o H. No. 5, Category I, Sector-25, (Punjab University Campus), Chandigarh.	-do-	-do-
13.	To be nominated by the Chairman	-do-	-do-
14.	Regional Director Regional office ESI Corporation Chandigarh	Member Secretary	Reg. 10(3)

PRABHAT C. CHATURVEDI
Director General